


नव भारत



युद्ध से विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट

होमूज से जहाज निकालने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं: मोदी

नई दिल्ली, 24 मार्च. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद के उच्च सदन में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर कहा कि युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं. पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है. इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है.

इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं. इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान के रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही हैं. पीएम ने कहा कि आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा होगा. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि होमूज से जहाज निकालने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता ना रहे. सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है.



दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है. साथ ही, एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बढ़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई. भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर बुधवार शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है. वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालिया वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में भारत की रक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की गई. बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, पर्यटन, चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

गुजरात विस में यूसीसी बिल पेश सभी धर्मों के लिए समान कानून

शादी, तलाक और विरासत के लिए प्रस्तावित नियम, बहुविवाह पर रोक

अहमदाबाद, 24 मार्च. गुजरात सरकार ने विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026' पेश कर दिया है. इस बिल के तहत राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और विरासत के मामलों में समान नियम लागू होंगे.

उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा बनने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा. बिल में बहुविवाह पर रोक, लिव-इन

संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण और उनकी औपचारिक समाप्ति का प्रावधान शामिल है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि यह विधेयक राज्य में समान कानूनी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से लाया गया है. यह विधेयक गुजरात निवासियों के बीच फैला है, जबकि अनुसूचित जनजातियों और कुछ समूहों के पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित रहेंगे. विधेयक पेश होने के तुरंत बाद अहमदाबाद के लाल दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया.

आईपीएल की सबसे महंगी टीम बनी आरआर भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन ने 15,289 करोड़ में खरीदा

नई दिल्ली, 24 मार्च. राजस्थान रॉयल्स (आरआर) 1.63 बिलियन डॉलर यानि करीब 15,289 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ बिक गई है. इसके साथ ही राजस्थान आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है.

भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन काल सोमानी और उनके कॉन्सोर्टियम ने फ्रेंचाइजी के लिए ये सबसे बड़ी बोली लगाई है, जिसे मंजूर कर लिया गया है. राजस्थान रॉयल्स ने राजस्थान के लखनऊ सुपर जायंट्स का रिकॉर्ड तोड़ा. लखनऊ को संजीव गोयनका के

2008 में इसकी कीमत 270 करोड़ के आसपास थी 2021 में इसको 7,090 करोड़ में खरीदा था आरपीएसजी ग्रुप ने 2021 में 7,090 करोड़ की भारी बोली लगाकर खरीदा था. 2008 में जब राजस्थान रॉयल्स को खरीदा गया था, तब इसकी कीमत सिर्फ 67 मिलियन डॉलर थी, जो उस समय लगभग 260-270 करोड़ के आसपास बैठती थी. अगर उसी 67 मिलियन डॉलर को आज की वैल्यू में देखा जाए, तो यह करीब 628 करोड़ बनता है. अब 2026 में यही फ्रेंचाइजी करीब 1.63 बिलियन डॉलर (लगभग 15,289 करोड़) में बिकी है.




लोकार्पण समारोह

'सनातन धर्म और जीवन दर्शन' पुस्तक के विमोचन पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

विपरीत परिस्थितियों में भी लहरा रही सनातन की ध्वजा

मथुरा, 24 मार्च. वृंदावन में जीवनदीप आश्रम का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम में सरसंगचालक डॉ. मोहन भागवत, श्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर जीवनदीप पीठाधीश्वर स्वामी यतींद्र आनंद गिरि, महामंडलेश्वर अवधेशानंदजी, साध्वी ऋतंभरा सहित समस्त संत वृंद तथा बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे.



अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वृंदावन में जीवनदीप आश्रम लोकार्पण समारोह में 'सनातन धर्म और जीवन दर्शन' पुस्तक का विमोचन किया. संघ प्रमुख डॉ. भागवत ने

कहा कि वर्तमान में विश्व के कई देशों की व्यवस्था लड़खड़ा रही है. सनातन धर्म-संस्कृति की ध्वजा कई विपरीत परिस्थितियों को झेलने के बाद भी पूर्ण गरिमा के साथ लहरा रही है. इसमें हमारे आश्रमों और संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने प्रदेश के बड़वानी जिले में सुश्री भारती ताई द्वारा गरीब बच्चों के लिए संचालित विद्यालय की सराहना की.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से की बात

वॉशिंगटन, 24 मार्च. ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को फोन पर बात की. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. मौजूदा संकट के बीच दोनों नेताओं में यह बातचीत वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है. गोर ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत के दौरान मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने होमूज जलडमरूमध्य को खुला रखने की अहमियत पर भी बातचीत की. मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने बाद राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच यह पहली बातचीत बताई जा रही है.

70 हजार करोड़ से बन रहे हैं स्वदेशी जहाज

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो. हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों. यही एकमात्र विकल्प है. जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक तेल विदेशी जहाजों पर होता है, यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है. इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया है. भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेटेंस एंड ओवरहालिंग, ऐसी हर सुविधा का निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है.

अमेरिका ने ईरान पर नहीं किया हमला

ट्रंप ने हमले नहीं करने की घोषणा की थी

इजराइल-यूएस और ईरान के बीच जंग का 25वां दिन

वॉशिंगटन, 24 मार्च. इजराइल-यूएस और ईरान के बीच जंग 25 दिनों से जारी है. हालांकि सुत्रों के अनुसार मंगलवार को अमेरिका की ओर से ईरान पर कोई हमला नहीं किया गया. बता दें कि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि अगले पांच दिनों तक ईरानी पावर प्लान्ट्स और ऊर्जा ढांचे पर कोई हमला नहीं किया जाएगा.

ईरान और इजरायल ने एक-दूसरे पर किए हमले

ईरान और इजरायल दोनों तरफ से कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का दौर चल रहा है. इस बीच, ईरान ने इजरायली शहरों को निशाना बनाते हुए अपने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 79वीं वेव की घोषणा कर दी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत उसकी 79वीं हमले की लहर में इजरायल के कई सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया. ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मंगलवार को दो गैस संयंत्रों और एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया. हमले में देश के दक्षिण-पश्चिम में खोर्सशहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया.

इस मामले में उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग को निरेश भी दिए थे. उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है.

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने ची चेतावनी: यूरोपीय

ईरान जंग के चलते फिलीपींस में ऊर्जा आपातकाल घोषित

मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब एशिया तक पहुंचने लगा है. फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिंड मार्कोस ने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है. राष्ट्रपति ने एक एजीव्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण देश की ईंधन सप्लाई और ऊर्जा स्थिरता पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है. उन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति की उपलब्धता और स्थिरता पर खतरों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया जाता है.

धर्म परिवर्तन पर एससी का दर्जा खत्म केवल हिंदू-बौद्ध-सिख ही अनुसूचित जाति का कर सकते हैं दावा

नई दिल्ली, 24 मार्च. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा नहीं मिल सकता. कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून का संरक्षण भी नहीं मिलेगा. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ईसाई बने व्यक्ति को एससी/एसटी एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा.

दरअसल, आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक पादरी चिंथाडा आनंद ने एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. उन्होंने



सुका का ऐतिहासिक फैसला

आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उन्हें जाति के नाम पर गाली दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. जबकि आरोपी पक्ष ने कहा था कि आनंद ईसाई धर्म अपनाकर पादरी बन गए हैं, इसलिए उन्हें एससी का दर्जा नहीं मिल सकता. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दलील को सही माना और

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इसी फैसले को आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और एनवी अय्यर की पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म अपनाने और सक्रिय रूप से उसका पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती.

एफआईआर रद्द कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने और सक्रिय रूप से उसका पालन करने वाले व्यक्ति को एससी का दर्जा बरकरार नहीं रहता, भले ही उसके पास पुराना एससी प्रमाण पत्र क्यों न हो.

महिला अफसर सेना में स्थाई कमीशन की हकदार

सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर किया यूज

नई दिल्ली, 24 मार्च. सेना में स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि महिला सैन्य अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. एक अहम

महिला अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से 3 राहत

जिन एसएससी अफसरों को 2020-21 में नंबर 5 सेलेक्शन बोर्ड या AFT (ट्रिब्यूनल) के फैसले के आधार पर पहले ही स्थायी कमीशन (पीसी) मिल चुका है, उनका स्टेटस नहीं बदला जाएगा. जो महिला एसएससी अफसर (अपीलकर्ता) इस केस के दौरान सेवा से बाहर हो गईं, उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्होंने 20 साल की जरूरी सेवा पूरी कर ली है. उन्हें पेंशन और उससे जुड़े सभी लाभ मिलेंगे, लेकिन पिछला वेतन (परियर) नहीं मिलेगा. वर्तमान में जो महिला अफसर सेवा में हैं, उन्हें 60 प्रतिशत कटऑफ पूरा करने पर परमानेंट कमीशन मिलेगा. बशर्तें उन्हें जरूरी मंजूरी मिली हो.

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के मूल्यांकन में मौजूद संस्थागत भेदभाव को कड़ी आलोचना की. 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन (पीसी) न देना मूल्यांकन के ढांचे में ही गहरे तक जमे भेदभाव का नतीजा था.